मा. कार्यपरिषद् की 50वीं (आकस्मिक) बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2024 (शनिवार) का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की मा. कार्यपरिषद् की **50वीं** बैठक (आकस्मिक) **दिनांक 06 जनवरी, 2024 (शनिवार)** को **अपराह्न 03:00 बजे** ऑफलाईन/ऑनलाईन के माध्यम से विश्वविद्यालय मुख्यालय में मा. कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक में निम्नांकित सम्मानित सदस्य/महानुभावो ने प्रतिभाग किया:-

1. **प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री** — **अध्यक्ष**
   कुलपति
2. **मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री आर.सी. खुल्बे** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   पूर्व मा. न्यायमूर्ति
   उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय।
3. **प्रो. राधेश्याम चतुर्वेदी** — **सदस्य (दूरभाष के माध्यम से उपस्थित)**
   देव संस्कृति विश्वविद्यालय
   हरिद्वार।
4. **प्रो. कमला चौहान** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   विभागाध्यक्ष–संस्कृत विभाग
   हे0न0ब0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय
   श्रीनगर।
5. **प्रो. यशबीर सिंह** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   प्राध्यापक, संकायाध्यक्ष–धर्मशास्त्र विभाग
   श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली।
6. **श्री पद्माकर मिश्रा** — **सदस्य**
   उप निदेशक
   उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय
   रानीपुर झाल, हरिद्वार।
7. **डॉ. प्रतिभा शुक्ला** — **सदस्य**
   संकायाध्यक्ष–साहित्य संस्कृति संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
8. **डॉ. शैलेश कुमार तिवारी** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   संकायाध्यक्ष–वेद–वेदांग संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
9. **प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   आचार्य–भाषा एवं आधुनिक
   ज्ञान–विज्ञान विभाग, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
10. **डॉ. कामाख्या कुमार** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
    उपाचार्य–योग विज्ञान विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
11. **डॉ. विनय कुमार सेठी** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
    सहायक आचार्य–भाषा एवं आधुनिक
    ज्ञान–विज्ञान विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।

12. **डॉ. संजीव शास्त्री** — सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
प्राचार्य,
श्री दैवी सम्पद् अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय
परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश

13. **डॉ. शिवानी विद्यालंकार** — सदस्य
प्राचार्य,
श्री निर्मल संस्कृत महाविद्यालय, कनखल
हरिद्वार।

14. **श्री लखेन्द्र गौथियाल** — सदस्य
वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

15. **श्री गिरीश कुमार अवस्थी** — **सचिव/मा. कार्यपरिषद्**
कुलसचिव

बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद संख्या – 01 : मा. कार्यपरिषद् की 49वीं (आकस्मिक) बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विनिश्चय : **मा. कार्यपरिषद् ने 49वीं बैठक के कार्यवृत्त का संज्ञान लिया एवं सम्पुष्टि की।**

मद संख्या – 02 : मा कार्यपरिषद् के संज्ञान में लाना है कि मा. कुलपति महोदय अवमानना याचिका संख्या–283 of 2023 Dr. Mohan Chandra Balodi Vs State of Uttrakhand and others में पारित आदेश दिनांक 27.12.2023 के अनुपालन में दिनांक 04 जनवरी, 2024 को विश्वविद्यालय द्वारा नामित किये गये मा. उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा एवं विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री आशीष जोशी के साथ उक्त वाद की प्रभावी पैरवी करने हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति (Personal Appearance) में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष उपस्थित हुए। विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं के साथ मा. कुलपति महोदय द्वारा भी समस्त तथ्यों के साथ विश्वविद्यालय का प्रबल पक्ष मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में रखा गया।

मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल के कोर्ट संख्या–05 के सिंगल बैंच में Hon'ble Mr. Justice Rakesh Thapliyal जी द्वारा समस्त प्रकरणों को सुनने के पश्चात् प्रत्येक दशा में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा Writ Petition No. 513 of 2022 (S/B) में पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 एवं दिनांक 03.10.2023 का अनुपालन करने हेतु मा. कुलपति महोदय को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों का अनुपालन करने के उपरान्त मा. कुलपति महोदय को व्यक्तिगत उपस्थिति (Personal Appearance) हेतु छूट प्रदान की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में मा. कुलपति महोदय को दिनांक 09.01.2024 (दिन मंगलवार) को मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष उपस्थित होना होगा, जिसमें मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा मा. कुलपति महोदय के विरूद्ध आरोप तय किये जायेंगे।

मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा Writ Petition No. 513 of 2022 (S/B) में पारित आदेश दिनांक 29.08.2023, 03.10.2023 व अवमानना याचिका संख्या–283 of 2023 में पारित आदेश 27.12.2023, 04.01.2024 का अनुपालन प्रत्येक दशा में दिनांक 09.01.2024 से पूर्व किया जाना है, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से मा. उच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके।

उक्त के क्रम में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2023, 03.10.2023, 27.12.2023 एवं 04.01.2024 के अनुपालन हेतु प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : मा. कार्यपरिषद् ने मद संख्या 02 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श किया और मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित Writ Petition No. 513 of 2022 (S/B) में पारित आदेश दिनांक 29.08.2023, 03.10.2023 एवं अवमानना याचिका संख्या–283 of 2023 में पारित आदेश 27.12.2023, 04.01.2024 व शासन के पत्र संख्या–215/XLII–1/2020–08(07)2018, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून, दिनांक 30 मई, 2022 का संज्ञान लिया। शासन के पत्र संख्या–215/XLII–1/2020–08(07)2018, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून, दिनांक 30 मई, 2022 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश 175/प्रशासन/व्य.प./2022 दिनांक 01 जून, 2022 के द्वारा डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी को विभागाध्यक्ष/प्रोफेसर के पद से तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की सेवाओं से पृथक् किया गया था।

मा. कार्यपरिषद् द्वारा गहन विचार–विर्मश कर मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित Writ Petition No. 513 of 2022 (S/B) में पारित आदेश दिनांक 29.08.2023, 03.10.2023 एवं अवमानना याचिका संख्या–283 of 2023 में पारित आदेश 27.12.2023, 04.01.2024 के अनुपालन में डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी को प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की। डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी की यह नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण शासन की अनुमति व मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित Writ Petition No. 513 of 2022 (S/B) में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

मा. कार्यपरिषद् द्वारा पुनः यह संज्ञान लिया गया कि चूंकि जाँच रिपोर्ट दिनांक 28.01.2018 एवं 24.02.2020 के द्वारा यह पुष्टि हो चुकी है कि डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी यू.जी.सी. मानकानुसार प्रोफेसर पद की अर्हता धारित नहीं करते हैं।

अतः मा. कार्यपरिषद् द्वारा मा. कुलपति महोदय से यह अपेक्षा की गई की वह सम्बन्धित प्रकरण पर विधिवत् विधिक परीक्षण कराते हुये मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में अपील किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें साथ ही मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में भी उक्त वाद की प्रभावी पैरवी निरन्तर जारी रखी जाए।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
सचिव–मा. कार्यपरिषद्

(प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री)
अध्यक्ष–मा. कार्यपरिषद्